

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

9.06.14

**प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल  
बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 27/13-14  
शांति देवी वनाम रामजी सिंह एवं अन्य**

**आदेश**

आवेदिका शांति देवी पति स्व०विशुनदेव सिंह साकिन लालबाग करपी, थाना करपी ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि जिसका विवरणी निम्न है:-

खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा	चौहद्दी
162	1356	1 कट्टा	उत्तर-रामईश्वर सिंह दक्षिण- रामजी सिंह पूरब-मिथलेश पश्चिम- तेजू साव

का नापी कराकर कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। इस वाद में विपक्षी रामजी सिंह पिता स्व० रामगति सिंह ने पूर्व में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम अन्तर्गत वाद संख्या 15/13-14 दायर किया है और इस वाद के आवेदक को विपक्षी बनाया है। रामजी सिंह द्वारा विवादित भूमि निम्न है:-

खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा	चौहद्दी
162	1356	06 डी०	उत्तर-नीज वो शांति देवी दक्षिण-रामाशंकर सिंह पूरब- नीज 4 फीट रास्ता पश्चिम-नीज वो तेजू साव

पर आवेदक के अधिकार का प्रख्यापन एवं नापी कराकर कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त दोनों वादों, वाद संख्या 15/13-14 एवं 27/13-14 की एक साथ सुनवाई कर नापी हेतु सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की प्रतिनियुक्ति की गई। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त ने प्रतिवेदित (प्रतिवेदन वाद संख्या 27/13-14 में संलग्न) किया है कि विपक्षी रामजी सिंह उर्फ भोजपुरी के कब्जे की भूमि उभय पक्ष के भूमि बिक्रेता संतोष कुमार के हिस्से में प्राप्त भूमि के पूरब दक्षिण कोण पर अवस्थित है जिसकी लंबाई पूरब से पश्चिम 96 कड़ी × चौड़ाई  $62\frac{1}{2}$  कड़ी के गुणनफल बराबर 6000 वर्गकड़ी यानि 6 डी० होता है। इसके सटे उत्तर आवेदक शांति देवी की खरीदगी भूमि दखल कब्जे में है, जिसका क्षेत्रफल 96 कड़ी लम्बा पूरब

4

से पश्चिम  $\times$  39 कड़ी चौड़ा दक्षिण से उत्तर गुणनफल बराबर 3744 वर्ग कड़ी यानि  $3\frac{3}{4}$  डी० होता है जिसके अंदर में पूरब तरफ गाड़े गये चापाकल का गुला मुण्डा तथा पश्चिम तरफ बॉस की कोठी लगा पाया। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त ने प्रेतिवेदित किया है कि पुछ-ताछ के कम में ज्ञात हुआ कि विवाद का कारण रामजी सिंह का यह कहना कि चूँकि मैं पहले भूमि खरीद किया हूँ, इसलिए मैं रास्ते से सटे पूरी लम्बाई में जमीन लूँगा जबकि शांति देवी का कहना था कि वसिका में वर्णित चौहद्दी के अनुरूप दोनो को मिलना चाहिए।

चूँकि सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त ने उभय पक्षों के कय की गई भूमि में अंकित चौहद्दी के अनुसार नापी किया है जिसे संपुष्ट किया जा चुका है। आवेदक रामजी सिंह का कहना कि उनकी जमीन रास्ते से सटे पूरी लंबाई में है, मान्य नहीं है। उभय पक्ष का चौहद्दी के अनुसार जमीन का नापी कराकर चिन्हित कर दिया गया है। वाद की करवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित्त एवं संशोधित

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता  
अरवल।

19.06

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
अरवल।